Final Draft Amendment Dated 21-06-2014

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली, 1995

पिटकुल संशोधन, 2014

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली – 1995 यथा संशोधित वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य पुर्नगठन अधिनियम 2000 तथा पिटकुल ट्रांसफर स्कीम 2004 के प्राविधानों के अनुसार पिटकुल के परिचालकीय वर्ग के कर्मचारियों पर लागू हैं।

(ख) पिटकुल के आर्टिकल ऑफ ऐसोसिएशन की धारा 50 सपठित धारा 51 उपधारा 16 तथा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पिटकुल के निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्त नियमावली में निम्न संशोधन किये जाते हैं:–

भाग–1
''सामान्य''

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

(क) इस संशोधन को ''उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली – 1995 (पिटकुल संशोधन) 2014'' कहा जायेगा।

(ख) यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3. परिभाषाएं

परिभाषाओं में निम्नलिखित परिभाषायें भी सम्मिलित की जाती हैं:–

3.30 ''कम्पनी'' का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत स्थापित कम्पनी '' पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड'' से है जिसे कम्पनी/निगम अथवा कारपोरेशन के नाम से सम्बोधित किया जा सकता है।

3.31 ''सरकार'' अथवा ''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है। संशोधित नियमावली में उक्त धारा में उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तराखण्ड पढ़ा जायेगा।

3.32 ''सेवा'' का तात्पर्य उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद के अधीन परिचालकीय कर्मचारियों की सेवा से है। संशोधित नियमावली में उक्त धारा में उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद के स्थान पर उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद/ उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड/ उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड/पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड पढ़ा जायेगा।

3.33 ''प्रबन्ध निदेशक'' का तात्पर्य पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक से है।

3.34 ''निदेशक'' का तात्पर्य पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक से है।

3.35 संशोधित नियमावली में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद के स्थान पर पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड पढ़ा जायेगा।

भाग–3
''भर्ती''

6. रिक्तियों का आरक्षण

वर्तमान प्रावधान के स्थान पर संशोधित नियमावली में आरक्षण के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान किया जाता हैः–

''अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण समय–समय पर निर्गत उत्तराखण्ड शासन के आदेशों के अनुसार होगा।''

8. आयु

क आयु के सम्बन्ध में वर्तमान प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान किया जाता हैः–

चयन के वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियों की अधिसूचना यदि 01 जनवरी से 30 जून के मध्य की निर्गत की जाती है तो चयन वर्ष की 01 जनवरी को और यदि 01 जुलाई से 31 दिसम्बर के मध्य की जाती है तो 01 जुलाई को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि विभागीय अभ्यर्थियों के लिए तथा प्रोन्नति के पदों हेतु आयु की कोई सीमा नहीं होगी।

ख आयु की गणना अभ्यर्थी की जन्म तिथि से की जायेगी।

परन्तुक यह है कि अनुसूचित जातियों को जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणी जो सरकार द्वारा समय–समय पर अभिसूचित की जाय, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

भाग–5
"सीधी भर्ती"

13. (ख) को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:–

विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया – पदों का आगणन एवं विज्ञप्ति, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, स्थान, तिथि का निर्धारण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निश्चित किया जायेगा। लिखित परीक्षा का आयोजन पिटकुल द्वारा स्वयं या किसी अन्य बाह्य ऐजेंसी के माध्यम से किया जा सकता है। सीधी भर्ती के पदों पर चयन लिखित परीक्षा की वरीयता सूची के आधार पर किया जायेगा।

(ग) को विलुप्त किया जाता है।

(घ) नियमावली में आंशिक संशोधन करते हुए पिटकुल में परिचालकीय संवर्ग में विभिन्न पदों के वेतनमान एवं नियुक्ति प्राधिकारी के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से होंगे:–

श्रेणी	**पदनाम**	**वेतनमान**	**नियुक्ति प्राधिकारी**
प–1	हेल्पर	5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	उपमहाप्रबन्धक, मा0सं0 / अधीक्षण अभियन्ता / सम्बन्धित मण्डल का अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक
प–2	स्किल्ड हेल्पर	5200–20200 ग्रेड वेतन 2000	उपमहाप्रबन्धक, मा0सं0 / अधीक्षण अभियन्ता / सम्बन्धित मण्डल का अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक
प–3	चालक / सहायक	5200–20200	उपमहाप्रबन्धक,

DRAFT

	भण्डारपाल / मानचित्रक	ग्रेड वेतन 2600	मा0सं0 / अधीक्षण अभियन्ता / सम्बन्धित मण्डल का अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक
प–4	टी0जी0– ।। विद्युत / टी0जी0– ।। लाईन	5200–20200 ग्रेड वेतन 2600	उपमहाप्रबन्धक, मा0सं0 / अधीक्षण अभियन्ता / सम्बन्धित मण्डल का अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक
प–5	टी0जी0– । विद्युत / टी0जी0– । लाईन	5200–20200 ग्रेड वेतन 42 00	उपमहाप्रबन्धक, मा0सं0 / अधीक्षण अभियन्ता / सम्बन्धित मण्डल का अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक
प–6	वरिष्ठ तकनीशियन तथा तकनीकी सहायक	9300–34800 ग्रेड वेतन 4800	उपमहाप्रबन्धक, मा0सं0 / अधीक्षण अभियन्ता / सम्बन्धित मण्डल का अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक

भाग–6
''प्रोन्नति द्वारा भर्ती''

15. चयन समिति

प्रोन्नति हेतु चयन समिति के सम्बन्ध में वर्तमान प्रावधान को संशोधित करते हुए निम्नलिखित व्यवस्था प्रतिस्थापित की जाती हैः–

(क) पदोन्नति के लिये उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन निम्न समितियों द्वारा किया जायेगा :–

DRAFT

क्र0सं0	परिशिष्ट 1(क) एवं (ख) में वर्णित पदों की श्रेणी	चयन के लिए समिति	समिति के गठन के लिए सक्षम प्राधिकारी	पद का नियुक्ति प्राधिकारी
1.	श्रेणी प1 से प6 तक	1. सम्बन्धित उपमहाप्रबन्धक/ उपमहाप्रबन्धक, मा0सं0 2. अधीक्षण अभियन्ता 3. वरिष्ठतम् अधिशासी अभियन्ता 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता के स्तर का यदि उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से नहीं है।	सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी अथवा उससे उच्च अधिकारी	उपमहाप्रबन्धक, मा0सं0/अधीक्षण अभियन्ता/सम्बन्धित मण्डल का अधीक्षण अभियन्ता/ उपमहाप्रबन्धक

प्रथम प्रतिबन्ध को निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः–

I. श्रेणी प1 से प6 तक के पदों पर पदोन्नति के लिए कारपोरेशन को एक इकाई माना जायेगा।

II. वर्तमान प्रावधान को विलुप्त किया जाता है।

16. चयन प्रक्रिया

I. प्रोन्नति सभी पदों पर अनुपयुक्त को छोड़ते हुए कार्मिकों की परस्पर ज्येष्ठता के आधार पर किया जायेगा।

II. एक पदनाम में नियुक्त सभी कार्मिकों की पारस्परिक ज्येष्ठता सूची कारपोरेशन के स्तर पर तैयार की जायेगी और विज्ञापित की जायेगी। सम्बन्धित कार्मिकों की आपत्तियों का निराकरण कर, यदि कोई है तो, अंतिम ज्येष्ठता सूची निर्गत की जायेगी।

III. प्रोन्नति हेतु गठित की गयी चयन समिति द्वारा कार्मिकों की पांच वर्ष की गोपनीय आख्याएं/आख्याओं का सार तथा सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली का संज्ञान लेते हुए प्रोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।

बिन्दु 17 को विलुप्त किया जाता है।

DRAFT

22. **ज्येष्ठताः**

ज्येष्ठता के सम्बन्ध में वर्तमान प्रावधान को संशोधित करते हुए निम्नानुसार व्यवस्था प्रतिस्थापित की जाती है:–

I. एक पदनाम में नियुक्त कार्मिकों की ज्येष्ठता का निर्धारण कारपोरेशन स्तर पर किया जायेगा।

II. ज्येष्ठता का निर्धारण पिटकुल ज्येष्ठता नियमावली सपठित संगत सेवा नियमावली के अनुसार किया जायेगा।

भाग–8
''अधिकार, चाल–चलन एंव अनुशासन''

24. III. **दण्ड देने हेतु सक्षम अधिकारी** को आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है:–
श्रेणी प1 से प6 तक सभी प्रकार के दण्ड देने हेतु तथा आर्थिक हानि के कारण वेतन से वसूली तथा जुर्माना इत्यादि लगाने हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता जिसके अधीन कर्मचारी कार्यरत है, सक्षम अधिकारी होगा। परन्तुक यह है कि सेवा से हटाये जाने, बर्खास्त करने तथा पदावनति करने के लिए केवल नियुक्ति प्राधिकारी ही सक्षम अधिकारी होगा।

भाग–11
''विविध प्राविधान''

40. **सेवा निवृत्ति**

सेवा के सदस्यों की सेवा निवृत्ति “U.P. State Electricity Board (Employees Retirement) Regulation – 1975” के स्थान पर उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सेवानिवृत्त नियमावली के अनुसार किया जायेगा।

41. **सेवा निवृत्ति लाभ एवं पारिवारिक पेंशन**

वर्तमान प्रावधान में निम्नलिखित जोड़ा जाता है:–

DRAFT

14 जनवरी, 2000 के पश्चात् कम्पनी में भर्ती कार्मिक, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि एवं पेंशन के सम्बन्ध में ग्रेच्यूटी अधिनियम 1972 तथा भविष्य निधि एवं मिसलेनियस प्रोविजन्स अधिनियम 1952 तथा इम्प्लाईज पेंशन अधिनियम 1995 से अवतरित होंगे।

42. सेवा समाप्ति

उपबन्ध 42.1 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

1. "U.P.S.E.B. (Officers and Servants) Conditions of Service Regulation – 1975" के स्थान पर "PTCUL Employees General Conditions of Service Regulations 2014" पढ़ा जायेगा। परन्तुक इस संशोधन के लागू होने से पूर्व "U.P.S.E.B. (Officers and Servants) Conditions of Service Regulation – 1975" के अनुसार कोई कार्यवाही की गयी है तो तद्नुसार ही उसका निस्तारण किया जायेगा।

परिशिष्ट – 1 (क)
श्रेणी $प_1$

श्रेणी	पदनाम एवं वेतनमान	अर्हता		भर्ती का स्रोत	टिप्पणी
		सीधी भर्ती के लिए	पदोन्नति के लिए		
1	2	3	4	5	6
$प_1$	श्रमिक (वेतनमान रू0 5200–20200, ग्रेड पे– रू0 1900)	किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से हष्ट–पुष्ट तथा देवनागरी लिपि पढ़ना लिखना जानता हो	–	सीधी भर्ती द्वारा	मृतक आश्रित के सम्बन्ध में नियुक्ति अधिकारी द्वारा शैक्षिक अर्हता को शिथिल किया जा सकता है
$प_1$	माली (वेतनमान रू0 5200–20200, ग्रेड पे– रू0 1900)	किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से हष्ट–पुष्ट, तथा देवनागरी लिपि पढ़ना लिखना जानता हो। माली का काम जानता हो।	–	सीधी भर्ती द्वारा	वर्तमान में आउट सोर्सिंग के माध्यम से लिये जा रहे है
$प_1$	चौकीदार स्टोर (वेतनमान रू0 5200–20200, ग्रेड पे– रू0 1900)	किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से हष्ट–पुष्ट तथा देवनागरी लिपि पढ़ना लिखना जानता हो तथा भूतपूर्व सैनिक जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक न हो देवनागरी लिपि पढ़ना लिखना जानता हो`	–	सीधी भर्ती द्वारा	वर्तमान में आउट सोर्सिंग के माध्यम से लिये जा रहे है
$प_1$	पाक श्रमिक (वेतनमान रू0 5200–20200, ग्रेड पे– रू0 1900)	किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से हष्ट–पुष्ट, तथा देवनागरी लिपि पढ़ना लिखना जानता हो। खाना बनाना जानता हो	–	सीधी भर्ती द्वारा	वर्तमान में आउट सोर्सिंग के माध्यम से लिये जा रहे है
$प_1$	स्वच्छकार (पूर्णकालिक) (वेतनमान रू0	किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण, शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से हष्ट–पुष्ट तथा देवनागरी लिपि पढ़ना	–	सीधी भर्ती द्वारा	वर्तमान में आउट सोर्सिंग के माध्यम से लिये जा रहे है

DRAFT

	5200–20200, ग्रेड पे– रू0 1900)	लिखना जानता हो			

परिशिष्ट – 1 (क)
श्रेणी प $_5$

प5 में वर्तमान पदनाम के साथ निम्नलिखित पदनाम भी सम्मिलित किये जाते हैं:–

क्रमांक	पदनाम एवं वेतनमान	अर्हता		भर्ती का स्रोत	टिप्पणी
		सीधी भर्ती के लिए	पदोन्नति के लिए		
1	2	3	4	5	6
33(ख)	तकनिशियन ग्रेड–। इलेक्ट्रिकल	–	श्रेणी प$_4$ में तकनीशियन ग्रेड–।। इलेक्ट्रिकल के पद पर न्यूनतम 07 वर्ष की नियमित सेवा	श्रेणी प$_4$ में कार्यरत तकनीशियन ग्रेड–।। इलेक्ट्रिकल से पदोन्नति द्वारा	–
33(ग)	तकनिशियन ग्रेड–। लाईन	–	श्रेणी प$_4$ में तकनीशियन ग्रेड–।। लाईन के पद पर न्यूनतम 07 वर्ष की नियमित सेवा	श्रेणी प$_4$ में कार्यरत तकनीशियन ग्रेड–।। लाईन से पदोन्नति द्वारा	–

परिशिष्ट – 1 (ख)

''परिशिष्ट – 1 (ख)'' को पिटकुल के सम्बन्ध में विलुप्त किया जाता है।

परिशिष्ट 2

परिशिष्ट 2 को पिटकुल के सम्बन्ध में विलुप्त माना जायेगा।

परिशिष्ट – 2, ख

परिशिष्ट 2 ख में वर्तमान के साथ–साथ निम्नलिखित पदनाम सम्मिलित किये जाते हैं:–

5.1(क) तकनीशियन ग्रेड–। (विद्युत)

परिशिष्ट 2 ख के बिन्दु 4.1 में वर्णित तकनीशियन ग्रेड–।। (विद्युत) के सभी कार्य अधिक उत्तरदायित्व की भावना दर्शाते हुए अधिक तत्परता एवं दक्षता से करेगा ताकि अधिक प्रतिफल प्राप्त हो। वह पैरीमीटर्स पर सूक्ष्म दृष्टि रखेगा तथा सुधारात्मक उपाय करेगा।

DRAFT

5.5 तकनीशियन ग्रेड – I (लाईन)

परिशिष्ट 2 ख के बिन्दु 4.8 में वर्णित तकनीशियन ग्रेड–II (लाईन) के सभी कार्य अधिक उत्तरदायित्व की भावना दर्शाते हुए अधिक तत्परता एवं दक्षता से करेगा ताकि अधिक प्रतिफल प्राप्त हो। वह पैरीमीटर्स पर सूक्ष्म दृष्टि रखेगा तथा सुधारात्मक उपाय करेगा।

DRAFT